कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।
पत्रांक 649 /14–1,दिनांक,अमरोहा,सितम्बर 17 2021,

सेवा में,

प्रबन्धक टोरेंट गैस
मुरादाबाद लि0 मुरादाबाद ।

विषयः– जनपद अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग (न्यू एन.एच.–09) (पुराना एन.एच.–24) किमी0 136.480 से 141.780 तक टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि0 मुरादाबाद द्वारा दॉयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.3182 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ का आदेश संख्या पी 151/81–2–2021–800(142)/2021 दिनांक 24.08.2021

महोदय

उपरोक्त बिषयक जनपद अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग (न्यू एन.एच.–09) (पुराना एन.एच.–24) किमी0 136.480 से 141.780 तक टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि0 मुरादाबाद द्वारा दॉयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.3182 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या पी 151/81–2–2021–800(142)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में पांच प्रतियों मे उपलब्ध करायें।

क्रस0	विवरण	उत्तरालेख
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	
2	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन/मार्गो सडकों/ वर्तमान अधिकारधारित में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेगें।	
3	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौडाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	
4	प्रस्तावक एजेंन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	
5	प्रस्तावक एजेंन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	
6	वनभूमि के उपयोग के वाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Roght) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एव। भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	

10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	
11	प्रयोक्ता एजेंन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	
12	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफ0सी0 (पी.टी.) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II (I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।	
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रलय नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी. दिनांक 08.07. 2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया।	
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	
17	परियोजना में 06 इंच व 125 एमएम गैस पाईप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है :– (1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइन लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइन लाइन बिछाती है अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	
19	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	
CA amount as per proposal		-
CA amount deposited		
Difference in amount		-

Reason for difference	–
NPV amount as per proposal	199193.00
NPV Amount Deposit	
Difference in amount	-
Reason for difference	–
Any other amount depositer- (Complete details be)	–
CAMPA confirmation	

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग,
अमरोहा।

पत्रांक 649 / 14-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग,
अमरोहा।